भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4826

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर फ्लाईओवर

4826. श्रीमती संजना जाटव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सारस चौराहे पर फ्लाईओवर न होने के कारण भरतपुर संभाग मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-21 पर लोगों ने सड़क पार करने के लिए डिवाइडर को काटकर अवैध रूप से रास्ता बना लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस कट से सड़क पार करते समय अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं जिसके परिणामस्वरूप जान-माल का काफी नुकसान होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की इस स्थान पर फ्लाईओवर बनाने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-21 के आगरा-भरतपुर खंड पर सारस चौराहा पर विद्यमान मध्य मार्ग स्वीकृत आरेख (ड्राइंग) और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया है। तथापि, स्थानीय निवासियों द्वारा सारस चौराहा के पास विद्यामान मध्य मार्ग के निकट अनधिकृत रुप से मध्य मार्ग का निर्माण किया जाता है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा बार-बार ठीक किया जाता है।

इस स्थान की पहचान दुर्घटना प्रवण स्थल (ब्लैकस्पॉट) के रूप में की गई है और इस स्थान पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र साइन बोर्ड, गति सीमा साइन बोर्ड, पैदल यात्री साइन बोर्ड, ट्रांसवर्स बार मार्किंग, कैटआई, हाई मास्ट लाइट आदि जैसे उपयुक्त अल्पकालिक सड़क सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए गए हैं।

इसके अलावा, दीर्घकालिक उपाय प्रदान करने के लिए उपयुक्त समाधान की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। डीपीआर के परिणामों के आधार पर दीर्घकालिक उपाय शुरू किए जाएंगे।

*****